



पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.02.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री अम्बिका सिंह,
स०वि०स०
डॉ० फैयाज अहमद,
स०वि०स०
श्री केदार नाथ सिंह,
स०वि०स०
श्री सम्राट चौधरी उर्फ
राकेश कुमार, स०वि०स०
श्री भाई वीरेन्द्र,
स०वि०स०
श्री ललित कुमार यादव,
स०वि०स०
श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,
स०वि०स०

“कैमूर जिला के दुर्गावती सहित सभी अंचलों में वर्ष 1985 में ही चकबंदी का कार्य समाप्त हो गया तथा सभी रैयत चक के अनुसार जोत कर रहे हैं। परन्तु आज तक चक खतियान एवं नक्शा दुर्गावती सहित किसी भी अंचल में उपलब्ध नहीं कराया गया है, फलस्वरूप जमीन का निबंधन तो चक के अनुसार किया जा रहा है, किन्तु उक्त भूमि का दाखिल-खारिज एवं एल०पी०सी० निर्गत करने का कार्य उक्त सभी अंचलों में स्थगित है। राजस्व कर्मचारी द्वारा भू-लगान रसीद, सर्वे के अनुसार ही काटा जा रहा है, न कि चक के अनुसार, परिणामतः दुर्गावती समेत उक्त सभी अंचलों में भूमि विवाद की घटना में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है।

अतः कैमूर जिला के दुर्गावती सहित उक्त सभी अंचलों में चक खतियान एवं नक्शा उपलब्ध कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं।”

राजस्व एवं भूमि सुधार

1	2	3	4
2.	श्री श्रवण कुमार, संवि०सं० श्री हरिनारायण सिंह, संवि०सं० श्री जितेन्द्र कुमार, संवि०सं० श्री राजीव रंजन, संवि०सं०	<p>“नालन्दा जिला के सभी प्रखण्डों में मसूर फसल का बीज वितरण नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अनुदानित दर पर किसानों को किया गया है। नूरसराय प्रखण्ड के किसानों के द्वारा 462 एकड़ भूमि में मसूर की खेती की गई है, लेकिन पौधों में फूल और फल नहीं लग सके हैं, जिससे किसानों को लाखों की क्षति हुई है। किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।</p> <p>अतः किसानों की क्षति-पूर्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”</p>	कृषि

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-6/13- 152 / वि०सं०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2013 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजकुमार राजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-6/13- 152 / वि०सं०, पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2013 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(राजकुमार राजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।